

डा० भीमराव अम्बेडकर का दलित शिक्षा में योगदान

डा० अनुराही*

सारांश

डा० भीमराव अम्बेडकर का अविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था सर्वत्र पश्चिमी सभ्यता का ही बोल बाला था। डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक सामान्य, शिक्षित, दूरदर्शी, तपस्वी, सौम्य, और स्वनामहान्य सूबेदार मेजर रामजी मालो जी सकपाल के घर में हुआ था। संसार में व्यक्ति जन्म से ही नहीं अपितु कर्म से महान होता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो निश्चय ही उसको सफलता प्राप्त होती है। डा० भीमराव अम्बेडकर ने भी समाज जाति-पाति, ऊँच-नीच तथा समाज में फैले अज्ञान को दूर करने के लिये बहुत से लोगों को प्रेरित किया तथा वो अपने इस कार्य में सफल भी हुए। डा० भीमराव अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारत में अहूतों की स्थिति सुधारने हेतु शिडयुल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की तथा दलित शिक्षा में सुधार हेतु अनेक शिक्षण संस्थाओं दलितों के लिए छात्रावास, निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी तथा सरकारी नौकरियों में भी दलितों को उचित आरक्षण दिलाने हेतु सार्थक प्रयास किये एवं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त की।

प्रस्तावना

हमारा देश प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का महान केन्द्र रहा है। यहाँ पर समय-समय अनेक दार्शनिक चिंतक लेखक, विचारक, समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक हुए जिनके अच्छे कार्यों के कारण हमारे देश का मस्तक आज भी उन्नत है। विश्व के गणमान्य शिक्षाविदों ने शिक्षा की स्थूल दार्शनिक विचारधारा को प्रतिपादन किया। जबकि शिक्षा विदों के मध्य सर्वांगीण शिक्षा की रूप रेखा प्रस्तुत करने वाले डा० भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षा का किसी अन्य शिक्षाविद् के साथ तुलना करना एक जटिल कार्य है क्योंकि डा० भीमराव अम्बेडकर ही वह अकेले व्यक्ति है। जिन्होंने देश के पिछड़े वर्गों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन कर उनकी शिक्षा पर बल दिया और उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का पूर्ण प्रयास किया।

शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग व दलित वर्ग अशिक्षित क्यों रह जाता है। उनकी शैक्षिक स्थिति उपेक्षनीय क्यों थी और आज भी है। इस उपेक्षनीय वर्ग के उत्थान के विषय में केवल एक ही महान व्यक्ति ने सोचा और उसके उत्थान के लिए कार्य किया। वह है प्रसिद्ध दलित नेता डा० भीमराव अम्बेडकर। डा० भीमराव अम्बेडकर ही वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने समाज के रूप पिछड़े वर्ग के विषय में अध्ययन किया

उनकी शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को महसूस किया तथा इस उपेक्षित वर्ग को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया।

वर्षों पूर्व से हमारे पूर्वज "अछूत" शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। यद्यपि आज आधुनिक युग में इस विचार धारा में काफी परिवर्तन आया है। परन्तु पूरी तरह से यह भेदभाव हमारे दिलों से नहीं जा सका है। पूर्व समय में दलित वर्ग के लिए मानवाधिकार सुलभ नहीं थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार नहीं था। शिक्षण संस्थाओं एवं पाठशालाओं के द्वार उनके लिए बिल्कुल बंद थे। जिस धरती पर एक ओर वेदवाक्य 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की ध्वनि गूँजती हो और दूसरी ओर दलितों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना वेद-विरोधी माना जाता रहा हो, वह नितान्त घोर अन्याय का युग था। यह प्रतिबन्ध न केवल हिन्दू सामाज, अपितु समूचे भारत-राष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा थी। शिक्षा के आभाव में जन मानस अन्धकार, भय एवं आत्म-ग्लानि में फंस गया। हिन्दू समाज के एक बड़े हिस्से को अधम एवं अछूत बना दिया गया था। क्योंकि वह अशिक्षित, अनपढ़ और अन्त्यज था। यह सब कुछ स्वार्थी तत्त्वों, विशेषकर चतुर-चालाक उच्च वर्गीय समाज की नितियों द्वारा बनाये गये नियमों के द्वारा संभव हुआ।

ऐसी असहाय स्थिति जो समाज में दलित समुदाय की थी जिसे भीमराव अम्बेडकर ने न केवल

*बड़ा बाजार, टाकुर द्वारा, मुरादाबाद (उ०प्र०)

देखा अपितु उसका अनुभव किया और उससे उत्पन्न कष्टों और दुखों को भोगा भी। अतः उनकी यह सलाह कि – “शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो”। अनुभाविश्रित है जिसमें चिंता एवं चिन्तन दोनों का अद्भुत समावेश है।

डा० भीमराव अम्बेडकर दीन-दलित, दर्द पीड़ित अस्पृश्यों के मार्ग दर्शक बने। उन्होंने संसार के महामानव बुद्ध के अमर संदेश ‘अत्तदीप’, ‘अत्त-सरण’, ‘अनन्य सरण’, विश्व धर्म्य दीप को अपना एक मात्र परमधेय बनाया था। महात्मा बुद्ध और उनके धम्म को आधार बनाया तथा सव्य इस पर पूर्णरूपेण आचरण किया और लाखों करोड़ों अनुयायियों को इस पर चलने का परमादेश दिया। “स्वयं अपना उद्धार” करने का अनुपम उदाहरण उन्होंने पीड़ित और शोषित मानवों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें महात्मा बुद्ध के विचारों से अवगत कराया।

डा० भीमराव अम्बेडकर ने अविद्यांधकार को स्वयं नाश करके विद्या के प्रचार व प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। इस प्रकार डा० भीमराव अम्बेडकर एक प्रख्यात शिक्षाविद् हुए हैं उन्होंने वर्ष 1908 से 1920 तक दो वर्ष के लिए बम्बई से सिन्डेहम कालेज ऑफ कामर्स एण्ड इकनॉमिक्स में प्राध्यापक का कार्य किया था। इन्होंने जन कल्याण हेतु कई शिक्षण संस्थाओं व बहुत सी कृतियों का सृजन किया है। जो मानव कल्याण हेतु उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

डा० भीमराव अम्बेडकर ने दलित शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु तथा अधिक से अधिक दलितों को शिक्षित करने हेतु एवं उनकी समस्याओं को हल करने हेतु उन्होंने अपनी बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए उन्होंने प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम रूचिपूर्ण एवं बालकों की योग्यतानुसार, बनाने पर बल दिया। एवं माध्यमिक स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा एवं पिछड़े वर्ग के बालकों हेतु शुल्क मुक्ति एवं निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाये जाने में अपना समर्थन दिया एवं उच्च शैक्षिक स्तर हेतु उन्होंने छात्रवृत्ति एवं आरक्षण हेतु सफल प्रयास किये।

दलित शिक्षा में योगदान

डा० भीमराव अम्बेडकर ने 20 मई 1920 को मान गॉव – कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि – पढ़े लिखे अछूतों को महाविद्यालयों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए।

क्योंकि जब तक पढ़े लिखे अछूत शासन में भागीदार नहीं होंगे और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं होते तब तक अछूतपन मिट नहीं सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के इस बात पर विशेष जोर देने से 1925 में साम्प्रदायिकता के आधार पर सर्विसों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर ने केन्द्रीय सरकार में एकजीक्यूटिव कौंसिलर होते ही 1943 में, अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कराया था। सन् 1946 में अपने इस पद से त्यागपत्र देने से पूर्व ही उन्हें आरक्षण को साढ़े आठ प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े बारह प्रतिशत केन्द्रीय सर्विसों में करा दिया था। एवं उनके प्रयास से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्कॉलरशिप बोर्ड की स्थापना की गयी। उसी बोर्ड के द्वारा भारत के सभी कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने लगी। उसी स्कीम के अनुसार 25 विद्यार्थियों को, सारे भारत से बेविन योजना के अन्तर्गत, लंदन आदि विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। उनमें से एक विद्यार्थी पंजाब के श्री श्रीधर डिखले भी थे, जो चीफ लेबर कमीशन नियुक्त हुए। उन 25 विद्यार्थियों में सभी प्रान्तों में अधिकारी नियुक्त हुए थे।

अछूतों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए एक केन्द्रीय संगठन 20 जुलाई 1924 को “बहिष्कृत हितकारिणी सभा” की स्थापना की गई। उसके उद्देश्य थे –

1. दलित और पिछड़े वर्गों में शिक्षा-प्रसार के लिए होस्टल खोलना। इस कार्य के लिये योग्य और उचित तरीकों से साधनों को जुटाना।
2. उद्योग और कृषि स्कूलों की स्थापनाओं के द्वारा अछूतों की आर्थिक दशा में सुधार लाना और उन्नति करना।
3. अछूतों में संस्कृत और सभ्य जीवन बिताने के लिए पुस्तकालयों, सामाजिक केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना।
4. सभी स्थानों में अछूतों पर होन वाले अत्याचारों और अनाचारों के इतिहास को लिपिबद्ध करना। शोषित और दलित अछूतों की शिकायतों को सुनना और उनके दूर करने के उपायों को सुझाना।

डा० भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु शिक्षा समितियों का संगठन करना जरूरी समझा। ओर स्वयं उन्होंने इसी उद्देश्य के अनुसार सोलापुर (महाराष्ट्र) में 8 जनवरी, 1925 को अछूत छात्रों के लिए

छात्रावास खुलवाया। इसी सभा की ओर से अपने विद्यार्थियों के लिए कपड़ों, पुस्तकों, निवास और भोजन का प्रबन्ध किया गया। उस हॉस्टल के खर्च के लिए सोलापुर नगरपालिका ने 40 रु का अनुदान दिया था। सन् 1927 में बाबा साहेब को विधानपरिषद में मनोनित किया गया। उसी समय उन्होंने बम्बई सरकार को बाध्यकिया कि सारे माहाराष्ट्र में अछूत छात्रों के लिए मुफ्त हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बम्बई सरकार ने उसके सुझाव को मानकर कई सरकारी हॉस्टल खोले। जिनमें दलित वर्ग के छात्रों के मुफ्त रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी। साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा स्थापित और संचालित छात्रावासों को अनुदान भी दिये गये।

डा० भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के छात्रों की शिक्षा को सीमित न रखकर उसे उच्च स्तर तक ले जाने के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने लार्ड लिनलिथगों वायसराय को एक स्मृति पत्र दिया जिसमें कहा गया था, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को तीन-तीन लाख रूपयों का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। उतना ही अनुदान अछूतों की शिक्षा पर भी दिया जाना चाहिए। इस पर लार्ड लिनलिथगों इस अनुदान को देने के लिए तैयार हो गये। लेकिन अछूतों का हिन्दू और मुसलमानों की भांति कोई विश्वविद्यालय नहीं था इस कारण इस रकम को अछूतों की प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किये जाने की व्यवस्था की गयी। इस विषय के संबन्ध में डा० अम्बेडकर स्वयं लार्ड लिनलिथगों से मिले। उन्होंने कहा —

“प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते हैं इसलिए इस धन की प्राइमरी शिक्षा के लिए आवश्यकता नहीं है। इसको अछूतों की उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाये।”

लार्ड लिनलिथगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात मानकर उस धन को मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर शिक्षा की बात कही। इस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा —

“क्या मैं पाँच सौ ग्रेज्यूएटों के बराबर नहीं हूँ?” निसन्देह आप है।” वायसराय ने कहा।

“तब फिर आप क्लर्कों की फौज क्यों बना रहे है? मेरे जैसे योग्य व्यक्तियों को क्यों नहीं तैयार करते? अछूत बालकों को ऊँची शिक्षा पाने के लिए विदेश में भेजने की व्यवस्था करने में धन को लगाइये। जिससे उनको ऊँची शिक्षा तो मिलेगी ही उनका सोच विचार का

ढंग भी बदल जायेगा। बाहर विदेशों का समान व्यावहार उनमें आत्मविश्वास पैदा करेगा। यदि मैं स्वयं ऊँची शिक्षा पाये हुए नहीं होता तो मुझे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में नहीं लिया जाता मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति हो”।

डा० भीमराव अम्बेडकर की बातों से प्रभावित होकर लार्ड लिनलिथगों ने योग्य अछूत छात्रों को शिक्षा पाने के लिए, अनुदान देना व व्यय करना स्वीकार किया। डा० अम्बेडकर के इस प्रयास के फलस्वरूप 17 दलित छात्रों को इंग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। यह डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

डा० अम्बेडकर ने 8 जुलाई सन् 1945 को मुम्बई आकर “जनता शिक्षा समाज” नामक एक संस्था की स्थापना की तथा इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न व मध्यवर्गीय समाज, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना था। डा० भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों की शिक्षा — व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया। उसका गहन अध्ययन कर उनकी परेशानियों को समझा तथा उनकी समस्याओं को हल करने हेतु ठोस कदम भी उठाये।

जनता शिक्षा समाज नामक संस्था के द्वारा एक दूसरी संस्था औरंगाबाद में स्थापित की गयी जो कि “मिलिन्द महाविद्यालय” थी तथा उसकी आधारशिला डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सितम्बर 1951 में रखी गयी। ये शिक्षण संस्थायें दलितों के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं।

डा० अम्बेडकर ने जुलाई 1945 में “पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी” की स्थापना इस उद्देश्य से की कि निम्न वर्ग में शिक्षा का प्रसार किया जा सकें। विशेषकर अनुसूचित जाति में। केवल शिक्षा प्रसार ही नहीं इस वर्ग की आने वाली पीढ़ी का इस प्रकार से निर्माण करना भी उनका उद्देश्य भी रहा था कि इस पीढ़ी के योग्य एवं प्रतिभाशाली युवक अपने व्यक्तित्व को बनाकर अपने पिछड़े भाइयों के उत्थान का काम कर सकें।

पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने पहला कालेज “सिद्धार्थ कालेज” 20 जून 1946 में आरम्भ किया। इस शिक्षा समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न मध्यवर्गीय समाज, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना था। इसके

बावजूद भी उस संस्था के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने योग्यता को ही प्राथमिकता दी, जाति को नहीं। किसी भी संस्था के योगदान का अनुमान उसके परिणाम से लगाया जाता है ऐसी विपरीत स्थितियों में पढ़ कर आज भी उस संस्था के पढ़े हुए विद्यार्थी हर क्षेत्र में उँचा स्थान प्राप्त कर रहे थे। वे सारे देश में चिकित्सक, अभियंता, वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक जैसे पदों पर फैले हुए थे। उनमें से एक ने बँगलोर से “सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान” में पी.एच.डी. की तीन डिग्रियाँ प्राप्त कर एक उच्च स्थान हासिल किया था। एक विद्यार्थी बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था और दूसरा महाराष्ट्र का महान्यायाधीश। ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। उनमें से कई पहली पीढ़ी के विद्यार्थी थे। अगर ये महाविद्यालय न होते तो वे उच्चशिक्षा का सपना तक भी नहीं देख पाते। शिक्षा और चरित्र का निर्माण के क्षेत्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक धनिक योद्धा की भूमिका का निर्वाह किया।

दलित शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने हेतु

डा0 अम्बेडकर के महत्वपूर्ण सुझाव –

डा0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु तथा अधिक से अधिक दलितों के शिक्षित करने हेतु एवं उनकी समस्याओं को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष निम्न सुझाव प्रस्तुत किये –

1. अनुसूचित जाति के शिक्षित लोगों को लिपिक वर्गीय सेवाओं से हटाकर कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
2. अनुसूचित जाति के छात्रों को विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में उन्नत प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए परन्तु यह स्पष्ट है कि विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में शिक्षा अनुसूचित जातियों के साधनों से परे है। और यही कारण है कि अनेक लोग अपने बच्चों को कला और विधि के विषयों में अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। सरकारी सहायता के बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नत शिक्षा का क्षेत्र कभी भी अनुसूचित जातियों के लिए सुलभ नहीं होगा। और इसके लिए केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए।
3. इस समस्या के समाधान हेतु डा0 भीमराव अम्बेडकर ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये।

(अ) अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को दो लाख रुपये की छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष दी जानी चाहिए जो विश्वविद्यालय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में अथवा भारत के अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं।

(ब) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड, यूरोप, अमेरिका और डॉमीनियन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति पर एक लाख रुपये वार्षिक अनुदान व्यय करना चाहिए।

(स) भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों इंडियन स्कूल ऑफ माइस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये।

4. डा0 अम्बेडकर ने कहा भारत सरकार द्वारा एक ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिए जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों के अनेक लड़कों को प्रतिवर्ष प्रिन्टिंग प्रेस और रेलवे वर्कशॉप में प्रशिक्षण दिया जाये।

डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिये गये इन सुझावों को “बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड 19 में देखा जा सकता है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर के इस अतुलनीय योगदान के कारण भारत सरकार ने अम्बेडकर जी ‘भारत रत्न’ का सर्वोच्च सम्मान अर्पित किया है। एवं उनके जन्म शताब्दी वर्ष (1990–1991) को “सामाजिक न्याय वर्ष” के रूप में मनाया गया।

भारत में अछूतों की स्थिति को सुधारने हेतु डा0 अम्बेडकर ने “शिड्युल्ड कास्ट फेडरेशन” की स्थापना की तथा अनुसूचित जाति के हित साधन के लिए प्रकाशित “पिपुल्स हेराल्ड” नामक साप्ताहिक पत्र के विमोचन समारोह में भी डा0 भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया तथा अपनी पुस्तक “व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हेव डन टू दी अनटचेबल्स” में डा0 भीमराव अम्बेडकर ने स्वामी श्रद्धानन्द को सम्मान दिया है जिन्होंने अछूतों के लिए बहुत कार्य किया।

डा0 भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सुझाव एवं योगदान प्रस्तुत किये हैं जातिवाद की समस्या को हल करने तथा दलितों व पिछड़े कमजोर वर्गों को समाज में उनका सही स्थान दिलाने तथा इनके बालकों को उचित शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से डा0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भी दलितों व पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों आदि में

उनकी आवश्यक आरक्षित सीटें तथा स्त्री शिक्षा हेतु कई अनुच्छेदों को रखा है। जो कि डा० भीमराव अम्बेडकर का एक अविस्मरणीय योगदान है। डा० भीमराव अम्बेडकर ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहते थे जो जीविकोपार्जन का साधन भी हो और आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में सहायक हो।

डा० भीमराव अम्बेडकर भारत के भविष्य को साम्प्रदायिकता से बहुत दूर एकता के सूत्र में बाँधकर रखना चाहते थे। ताकि हमारे भारत का भविष्य उज्ज्वल हो। यह कहना प्रारंभिक होगा कि डा० अम्बेडकर के विचार अर्थात् नवरत्न मनुष्य को संसार से पृथक कर के कुछ शुभ या उत्कृष्ट करने की शिक्षा नहीं देते। न ही वह व्यक्तिक कल्याण के लिए एकान्त में साधक बने रहने की सलाह देते हैं। अपितु पीड़ित एवं आभावग्रस्त मनुष्यों की सेवा के लिए जैसा कि स्वयं उन्होंने किया, निस्वार्थ और सतत् प्रयास में जुटे रहने को वह बहुत अच्छा मानते हैं। मानव जीवन में शिक्षित होने की गुणवत्ता के वह प्रबल समर्थक रहे हैं। इसी कारण भारतवर्ष में यह नारा प्रायः गुंजयामान रहा है।

“जय भीम जय भारत”

सन्दर्भ

भगवान दास ; “द स्पोक अम्बेडकर” (सलेक्टेड स्पीचेज) (संकलित/ सम्पादित) वॉल 3, 1979, पृष्ठ 136–137।

डा० भीमराव अम्बेडकर ; “सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड 19”।

डा० भीमराव अम्बेडकर ; “सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड – 3”।

राहुल सांस्कृत्यान ; “बाबा साहेब अम्बेडकर”, सम्यक प्रकाशन, 32/3 क्लब रोड, पश्चिमपुरी चौक, नई दिल्ली 2000।

सोहनलाल शास्त्री; “अछूतो के कल्याण का सही रास्ता”, भारतीय बौद्ध महासभा, अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली, 1997।

श्री बेवरेल निकोलस ; “डा. अम्बेडकर”, भारतीय बौद्ध महासभा 1963, 1997।

सोहन लाल शास्त्री; “हिन्दु कोड बिल और अम्बेडकर” सम्यक प्रकाशन 32/3, क्लब रोड नई दिल्ली 2003।